न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 98 / 2026

बबीता लाम्बा पत्नी श्री राकेश कुमार सहारण पता वार्ड नम्बर 32 ग्रीन सिटी नियर पूनियां कॉलोनी चुरू, जिला झुंझुनू पिनकोड 331001 मो.न. 9462980959

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 23.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 98 / 2026 पर दिनांक 05.03.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2026 / 599–600 दिनांक 05.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर ने पत्रांक आर.टी.आई. / 2026 / 228 दिनांक 23.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई / 2025 / 16 दिनांक 16.01.2026 एवं पत्रांक आर.टी.आई / 2026 / 105 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना भिजवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मलसीसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित किये जाने पर उनके कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई / 2025 / 16 दिनांक 16.01.2026 एवं पत्रांक आर.टी.आई / 2026 / 105 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना भिजवा दी गई थी। अपीलार्थी को सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू